PP-1

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही का इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख व हुक्म की जारी
19.04.2021	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप०। आदेश हेतु पत्रावली दि. 5/07/2021 को पेश हो।	
	05.2.21 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त/अवकाश/मुख्यालय से बाहर पधारे हैं। पत्रावली दिनांक 19.3.21. को पेश हो।	
19.03.2021	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 01 ता 03 के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 09.07.19 को एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा एक प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 212, राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा इस आशय का अनुतोष चाहा गया है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वाद-पत्र के अंतिम निस्तारण तक चक 7GB(A), मु.नं. 35, म.नं. 135/385, कि.नं. 1, 2, 6 ता 15, मु.नं. 38, म.नं. 138/385, कि.नं. 2, 3, 8, 9, 11/2, 12, 13, 18 ता 23 कुल 6.061 है. में से 50 हिस्सा, चक 7GB(B), मु.नं. 2, म.नं. 138/386, कि.नं. 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 17 ता 19, 22 ता 24, मु.नं. 9, म.नं. 131/386, कि.नं. 19/2 कुल 3.378 है. में से 1/6 हिस्सा भूमि को रहन-बैय या अन्य प्रकार से अंतरित ना करे। मुताबिक बहस, दस्तावेज, शपथ-पत्र प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादपत्र के अंतिम निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि को प्रार्थी के हिस्से तक रहन-बैय या अन्य प्रकार से अंतरित ना किया जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Priyanka उप जिला कलेक्टर विजयनगर	

Scanned with CamScanner